



ज्ञानं शक्तिं कैरी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2012/उप.परीक्षा/02/2015

दिनांक: 29.11.2016

1577

कार्यालय आदेश

अकादमिक सत्र 2016-17 के प्रथम/तृतीय छमाही में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 40% (चालीस प्रतिशत) से कम है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 40% से 74% के मध्य है, उन्हें इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि वे आगामी छमाही में इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। इस आशय का 'शपथ-पत्र' (Undertaking) प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा विभाग द्वारा उन्हें प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि. वर्धा
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक
3. परीक्षा विभाग।
4. प्रभारी लीला, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. संबंधित फाइल

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India
वेब साइट/Website : www.hindivishwa.org

शपथ-पत्र

मैं वचन देता / देती हूँ कि अगली छमाही तक मैं अपनी कम उपस्थिति की प्रतिपूर्ति कर दूँगा/ दूँगी।

दिनांक :

(हस्ताक्षर) :

विद्यार्थी का नाम :

पाठ्यक्रम का नाम :

सत्र :

विभाग का नाम :

मोबाइल :

ई-मेल :